संख्या-10/2730 /आठ-1-14-129विविध/2012

आ0 1361/आ0 ब0/2014
29-9-14

प्रेषक,

सदाकान्त
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. **नियंत्रक प्राधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।
5. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 27 सितम्बर, 2014**

विषय : आवासीय योजनाओं में सार्वजनिक शौचालय, सिटी बस स्टाप, पैदल यात्रियों के लिए अण्डर पास/फुट ओवर ब्रिज, वेण्डिंग जोन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट ट्रांसफर स्टेशन, सैनिटरी लैण्डफिल साईट आदि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2014 के अन्तर्गत अवस्थापना विकास एवं उसके रख-रखाव हेतु प्राविधानित रणनीति के अनुसार आवासीय योजनाओं/कालोनियों में उपयुक्त स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय, सिटी बस स्टाप, पैदल यात्रियों के लिए अण्डर पास/फुट ओवर ब्रिज, फेरी क्षेत्र (वेन्डिंग जोन), सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, ट्रॉन्सफर स्टेशन, सैनिटरी लैण्डफिल साईट इत्यादि का मानकों के अनुसार प्राविधान अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत उक्त सुविधाओं के लिए मानक निर्धारित नहीं हैं, जिसके अभाव में जनसामान्य को असुविधा होने के साथ-साथ सड़कों एवं खुले स्थानों पर गन्दगी फैलती है और कालोनियों का पर्यावरण प्रदूषित होता है।

2- अतएव, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय योजना में उपयुक्त स्थलों पर निम्न मानकों के अनुसार भूमि

I Singh G.O. Water Mark

आरक्षित करना अनिवार्य होगा और इन मानकों का अनुपालन होने की दशा में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जायेंगे :-

क्र. सं.	सुविधा का प्रकार	मानक	न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	**सार्वजनिक शौचालय** (सार्वजनिक शौचालय की लोकेशन रैपिड ट्रान्जिट स्टेशन, वाणिज्यिक केन्द्र एवं सामुदायिक सुविधाओं से सम्बन्धित परिसरों/भवनों के निकट होनी चाहिए। प्रत्येक शौचालय में स्त्रियों के लिए न्यूनतम-02 एवं पुरुषों के लिए न्यूनतम-01 डब्ल्यू.सी. सीट तथा न्यूनम-01 यूरीनल यूनिट होनी चाहिए)		
	(क) डब्ल्यू. सी. सीट	50 व्यक्तियों के लिए-01	0.675 (0.75 मी.x 0.90 मी.)
	(ख) यूरीनल यूनिट	200-300 व्यक्तियों के लिए-01	0.30 (0.50 मी. x 0.60 मी.)
2	**सिटी बस स्टॉप** (बस स्टॉप की लोकेशन बस रूट पर मुख्य कार्य-केन्द्रों के आस-पास होनी चाहिए, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुविधाजनक हो)	800-1000 मी. की दूरी पर-01	50.40 (3.6 मी. x 14.0 मी.)
3	पैदल यात्रियों के लिए अण्डरपास/फुट ओवर ब्रिज	स्थानीय आवश्यकतानुसार	
4	**फेरी क्षेत्र (वेन्डिंग जोन)** (वेन्डिंग जोन की लोकेशन रैपिड ट्रान्जिट स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक उपयोग के अन्य परिसरों के निकट मुख्य मार्गों के राईट-ऑफ-वे के बाहर होनी चाहिए)	10,000 जनसंख्या पर-01 (500-1000 मी. दूरी पर)	1,000
5	**कूड़ा-एकत्रीकरण स्थल**	10,000 जनसंख्या पर-01	100
6	**सॉलिड वेस्ट ट्रॉन्सफर स्टेशन**	2.0 लाख जनसंख्या पर-01	5,000
7	**सैनिटरी लैण्डफिल साईट** - लैण्डफिल साईट की न्यूनतम दूरी झील/तालाब से 200 मी., नदी से 100 मी., रिवर फ्लड प्लेन से 200 मी., पब्लिक पार्क से 300 मी., जलापूर्ति ट्यूबवेल से 500 मी. तथा एयरपोर्ट से 20 किमी. होनी चाहिए। स्थल चयन के सम्बन्ध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूगर्भ जल विभाग, एयरपोर्ट अथॉर्टी तथा पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।	1.0 लाख जनसंख्या पर-01	10,000

I Singh G.O. Water Mark

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त तालिका में दिये गए मानकों को विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय-2 के प्रस्तर-2.4 (सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य उपयोगों/क्रियाओं हेतु मानक) की अनुसूची में क्रमांक-7 के रूप में शामिल करने हेतु बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव अंगीकृत किया जाये।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या:10/2730 (1)/आठ-1-14-129विविध/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव

I Singh G.O. Water Mark